

प0स0-3/6/2014- स्मा0
भारत सरकार
कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
आगरा मण्डल, 22 माल रोड, आगरा

दिनांक: 11 JAN 2018

सेवा में,
जिलाधिकारी
आगरा

विषय :-राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों में प्रवेश शुल्क में नकद रहित भुगतान एवं नकद भुगतान शुल्क अदा हेतु प्रारंभिक अधिसूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि भारत के राजपत्र असाधारण भाग-खण्ड 11-खण्ड 3, उप-खण्ड(i) प्राधिकार से प्रकाशित सं0 1020 नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1,1939 संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्रारंभिक अधिसूचना नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017 (छायाप्रति संलग्न) जोकि राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों में प्रवेश शुल्क के नकद रहित भुगतान एवं नकद भुगतान हेतु शुल्क निर्धारित करने के इरादे से नोटिस जारी किया है। उपरोक्त प्रवेश शुल्क के सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव को राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी किये जाने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ~~नई दिल्ली~~ नई दिल्ली, 110001 को भेजे जा सकते हैं जिस पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अतः आग्रह है कि उपरोक्त प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति इस आशय के साथ संलग्न की जा रही है कि प्रारंभिक अधिसूचना सभी कार्यालयों को प्रसार- प्रसार हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक- यथोपरि

अधीक्षण पुरातत्वविद्

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, आगरा।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा।
6. उप उद्यानविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उद्यान शाखा, पूर्वीद्वार ताजमहल, आगरा।
7. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश पर्यटन, 64 ताज रोड, आगरा।
8. सम्पादक, दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान/अमर उजाला/सी एक्सप्रेस/डीएलए
9. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, आगरा
10. क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुरातत्व, सकेत कालोनी, शाहगंज, आगरा।
11. वरिष्ठ संरक्षण सहायक/संरक्षण सहायक, ताजमहल/आगरा किला/फतेहपुर सीकरी/सिकन्दरा/एत्माद-उद-दौला को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त प्रारंभिक अधिसूचना को प्रत्येक प्रवेश शुल्क खिडकी पर चस्पा कर छायाचित्र सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अधीक्षण पुरातत्वविद्